


कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

-: अनापत्ति प्रमाण पत्र :-

निम्नांकित व्याख्याता (स्कूल-शिक्षा) द्वारा उनके नाम के अंकित परीक्षा/पद हेतु विज्ञापित भर्तियों में सम्मिलित होने हेतु विभाग से अनापत्ति चाही है। अतः निम्नांकित प्राध्यापकों को उनके नाम के सामने अंकित परीक्षा हेतु अनापत्ति एतद् द्वारा जारी की जाती है:-

क्र. सं.	नाम व्याख्याता मय पदस्थापन स्थान (राजमावि)	विषय	जन्मतिथि	सम्मिलित होने वाली परीक्षा/साक्षात्कार
1.	जितेन्द्र सिंह, शहीद मेजर जेम्स थॉमस राजमावि बीकानेर	भौतिक विज्ञान	10/5/1985	Vmou kota द्वारा आयोजित M.A. Edu. परीक्षा 2019-20 में सम्मिलित होने बाबत्।

यदि इनका चयन उक्त सेवा में हो जाता है तो इन्हें विभाग छोड़ने से पूर्व पुनः अनुमति प्राप्त करनी अनिवार्य है।



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा/माध्य/संस्था/सी-3/अनापत्ति/भौतिक-गणित/2019

दिनांक:- 24/10/19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, संबंधित संभाग।
2. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक/ संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
3. संबंधित प्रधानाचार्य/कार्मिक।
4. सिस्टम एनेलैरिसट कम्प्युटर अनुभाग को दिभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत्।
5. निजी एवं रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर


कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

—:: कार्यालय आदेश ::—

निम्नांकित प्राध्यापक, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान (स्कूल शिक्षा) को विदेश यात्रा पर जाने की स्वीकृति—निम्नांकित शर्तों के आधार पर दी जाती है:—

क्र०सं०	नाम कार्मिक, विषय मय पदस्थापन स्थान	विदेश यात्रा का कारण व अवधि	विदेश का नाम जहाँ यात्रा करनी है
1.	रेखा भादू, व्याख्याता (रसायन विज्ञान) राउमावि मटोरियावाली ढाणी, हनुमानगढ़	भ्रमण करने हेतु अवधि दिनांक: 25.10.2019 से 29.10.19 तक	थाईलेण्ड,
2.	कान्तिनाथ सुथार, व्याख्याता (रसायन विज्ञान) राआउमावि रोहट, पाली	भ्रमण करने हेतु अवधि दिनांक: 29.10.2019 से 08.11.19 तक	थाईलेण्ड, (वैकांक, फुकेट)
3.	पोकरराम बामणिया, व्याख्याता (जीव विज्ञान) राउमावि राणासर कलां, बाडमेर	भ्रमण करने हेतु अवधि दिनांक: 08.11.2019 से 15.11.19 तक	थाईलेण्ड, (वैकांक)

- विदेश यात्रा के दौरान किसी प्रकार का व्यवसाय नहीं करेंगे।
- विदेश यात्रा के लिए प्रथम बार में आवेदित अवकाश में किसी प्रकार की वृद्धि राज्य सरकार की अनुमति बिना स्वीकृति नहीं होगी तथा निर्धारित अवधि के बाद लौटकर नहीं आने पर सी.सी.ए नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
- विदेश से भेजा गया " त्यागपत्र " स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
- विदेश यात्रा के दौरान राज्य सरकार के माध्यम से कोई विदेशी विनियम नहीं किया जायेगा एवं न ही राजकीय स्त्रोत से इन्हें कोई विदेशी मुद्रा उपलब्ध करवाई जायेगी।
- उक्त कर्मचारी सक्षम अधिकार से अपना अवकाश स्वीकृत कराने के पश्चात ही विदेश को प्रस्थान करेंगे। अवकाश समाप्ति के तत्काल पश्चात संस्था में अपनी उपस्थिति अनिवार्य रूप से देनी होगी। एक बार में स्वीकृत अवकाश को आगे बढ़ाया नहीं जायेगा।
- विदेश प्रवास के दौरान किसी भी प्रकार का नियोजन स्वीकार नहीं करेंगे।
- विदेश प्रवास के दौरान जहाँ-जहाँ पर रहेंगे उनके पत्ते इस विभाग को तुरन्त अवगत करावें।
- विदेश प्रवास के दौरान किसी प्रकार का अध्ययन नहीं करेंगे।
- यात्रा का समस्त खर्चा स्वयं के द्वारा वहन किया जावेगा।
- (अ) सक्षम अधिकारी द्वारा विदेश जाने हेतु जब भी अवकाश स्वीकृत किया जावे उससे पूर्व यह पुष्टि आवश्यक रूप से कर लें कि उक्त कर्मचारी के विरुद्ध तत्समय कोई विभागीय जांच/कार्यवाही प्रस्तावित/विचाराधीन नहीं है।
(ब) कर्मचारी के विरुद्ध तत्समय कोई न्यायिक वाद लम्बित/विचाराधीन नहीं है।
(स) कर्मचारी के अवकाश पर जाने से कार्यालय/संस्था का कार्य प्रभावित नहीं हों।
(द) कर्मचारी द्वारा अपना कार्यभार एवं महत्वपूर्ण दस्तावेजों को हस्तान्तरणपूर्ण रूप से कर दिया गया है।



(नृथमल डिडेल)

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,


बीकानेर

क्रमांक: शिक्षा-मा/संस्था/सी-4/रजीग/विदेश यात्रा अनुमति/बो 2/2019-20

दिनांक: 24/10/2019

प्रतिरिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

- संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
- संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक।
- संबंधित प्रधानाचार्य.....।
- संबंधित कार्मिक.....।
- सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशित करने हेतु।
- निजी एवं रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर